



राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 213 / अजमेर/2009-10

श्री गौतम सेवा संस्थान, सावर
यह प्रमाणित किया जाता है कि

4080 कैकड़ी जिला अजमेर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक श्री बी. ल. साह नवम्बर सन् दो हजार नौ

को अजमेर में किया गया ।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

रजिस्ट्रार संस्थाएं

रजिस्ट्रार संस्थाएं

अजमेर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1

© 2374969

[Handwritten signature]

श्री गौतम सेवा संस्थान
सावर (अजमेर)